"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 2002—आषाढ़ 14, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2002

क्रमांक एफ-2-4/2002/1-8.—श्री ए. के. द्विवेदी, भा. व. से. स्थानापन्न उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 1003/2002/1-8.—श्री आर. एम. वर्मा, अवर सचिव,

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2002

क्रमांक एफ-1-1/2001/1/6.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती अमृता संजय लाल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बिलासपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए श्रीमती अमृता संजय लाल को विधि अधिकारी के पद पर (वेतनमान 12,000-16,500) मानव अधिकार आयोग छत्तीसगढ़, रायपुर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 1684/1350/सा प्र वि/2002/1/2.—श्री टी. एस. छतवाल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (रा. पु. प्र.) एवं लोक निर्माण विभाग को दिनांक 25-6-2002 से 12-7-2002 (18 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23, 24 जून 2002 एवं 13, 14 जुलाई 2002 सार्वजनिक अवकाश जोड़े जाने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री छतवाल को अवकाश अवधि में अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. श्री छतवाल को अवकाश से लौटने पर पुनः सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (रा. पु. प्र.) तथा लोक निर्माण विभाग में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री छतवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री टी. एस. छतवाल की अवकाश अवधि में श्री विवेक ढॉड, सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं सा. प्र. वि. (रा. पु. प्र.) का कार्यभार संभालेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2002

क्रमांक 9724/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं.-2) की धारा 2 के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासकीय दृष्टिकोण से—

1. नीचे दी गई सारणी के कालम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कालम नं. (4) की तत्संबंध प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कालम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कालम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र.	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	उक्त थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से शामिल किया जाना है	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना पंडरिया,	थाना मुंगेली,	1. ओछी डोंगरी	02
	तहसील पंडरिया,	जिला बिलासपुर.	2. खपरीकला	10
	जिला कवर्धा.		3. चिल्फी	10
			4. नवरंगपुर	02
			5. नथेला पारा	10
			6. फूलझर	09
			7. बोड़तरा कला	09
			8. बैजलपुर	10
			9. राम्हेपुर कला	02
			10. लीलापुर	02
			11. खोखतरा	10
			12. मुछैल	08
			13. डिंडोरी	02
			14. खौरा	02
			15. जोतपुर	08
			16. धरमपुर	09
			17. पथर्रा	09
			18. फूलवारी	09
			19. रैतरा	09
			20. हरदी	09
			21. मोल्हापार	10
			22. घाटापानी	09
			23. गातापारा	08
			24. छीतापार	08
			25. इलचपुर	08
			26. कल्हानार	02
			27. खपरीखुर्द	09
			28. खैरवार खुर्द	10
			29. गैलूगांव	08
			30. चकला	08
			31. पीतमपुर	02
			32. दाड़ीपारा	10
			33. डुमरहा	10
			34. दाऊकांपा	08
			35. रजपालपुर	08
			36. परदेशीकांपा	10
			37. भसकरा	02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			38. मेघापारा	10
			39. रमियापारा	10
			40. लाखापुरी	09
			41. लालसाय कांपा	09
			42. सहसपुर	10
			43. रोनगुढ़ा	09
			44. सिलतरा	08
			45. घटौली	10
			46. कुटेलाटोला	-
			47. फौजदार कांपा	-
2.	थाना कुण्डा, तहसील पंडरिया, जिला कवर्धा.	थाना मुंगेली, जिला बिलासपुर.	1. सिपाही	02
			2. गोरखपुर	02
			3. छुडहा	11
			4. जुझारभाठा	02
			5. भुमियापारा	01
			6. मर्राडबरी	01
			7. अनन्तपुर	14
			8. कोलिहा	13
			9. केहरपुर	12
			10. कंचनपुर	13
			11. केसतरा	14
			12. सारंगपुर	01
			13. सिलर्हा	11
			14. सिंगारपुर	01
			15. लालपुर	12
			16. तालम	11
			17. लछनपुर	11
			18. उदका	11
			19. बल्ही	13
			20. पंडोतरा	01
			21. बांदा	02
			22. हरिहरपुर	11
			23. मिगतरा	11
			24. सिघनपुरी	13
			25. चुचरूंगपुर	12
			26. चमारी	02
			27. चिरौजपुर	13
			28. झिटकनिया	12
			29. ठाकुरकांपा	11
			30. ठेंगा	13
			31. तुमड़ी	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			32. तरवरपुर	11
			33. दुल्लापुर	01
			34. दामापुर	03
			35. नागोपहरी	12
			36. नवागांव फैत	11
			37. नवागांव मुसरू	11
			38. पड़की खुर्द	01
			39. परसवारा	02
			40. फागूपारा	14
			41. बोधीपारा	14
			42. बेहरसरी	11
			43. बैहाकांपा	11
			44. भीमपुरी	12
			45. मुड़पारा	13
			46. मानपुर	12
			47. रमईपुर	02
			48. रजपालपुर	12
			49. सनकपाट	12
			50. सोनपुरी	12
			51. रोनगांव (वीरान)	14
			52. मानपुर (वीरान)	02
			53. चापतरा	13
			54. भगतपुर (वीरान)	14
			55. बड़ुहा (वीरान)	09
			56. खैरा सेतगंगा	01
			57. छटन	02
			58. झलियापुर	13
			59. बीजातराई	01
			60. राजपुर	12
			61. विचारपुर	13
			62. किंदरियापारा	12
			63. केशलीकला	01
			64. टेढ़ा धौरा	14
			65. डोंडा	13
			66. दुल्लापुर	14
			67. ढाबो	11
			68. मदनपुर	11
			69. पौनी	13
			70. अचानकपुर	13
			71. जुनवानी	13
			72. नारायणपुर	14
			73. केशली	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			74. कोसमतरा	-
			75. लगरा	11
			76. सेमरकोना	02
			77. भाठा	11
			78. रेतराकला	11
			79. कुकरहटा	11
			80. बघमार	11
			81. बेलसरी	12
			82. गाड़ाघाट	02
			83. सिघनपुरी	12
			84. नावगांव ठेलका	08
			85. साल्हेधौरी	11
			86. अमलीडीह	08
			87. खूंटा	-
			88. मुरका	-
			89. डोंगरी (वीरान)	-
			90. उसलापुर	-
			91. भालापुर	-

रायपुर, दिनांक 12 जून, 2002

क्रमांक 9726/गृह/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं.-2) की धारा 2 के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए —

1. नीचे दी गई सारणी के कालम नं. (2) में वर्णित पुलिस थानों से उक्त सारणी के कालम नं. (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लेखित किए गए स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता है, और

2. यह निर्देश देता है कि उक्त सारणी के कालम (4) में उल्लेखित किया गया स्थान क्षेत्र उक्त सारणी के कालम (3) की तत्संबंध प्रविष्टि में सम्मिलित किया जाय.

सारणी

क्र. (1)	उस थाना/चौकी का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया (2)	उक्त थाना/चौकी का नाम तह. जिला जिसमें से शामिल किया जाना है (3)	ग्राम का नाम (4)	पटवारी हल्का नं. (5)
1.	थाना मारडूम, तहसील व जिला दंतेवाड़ा.	थाना बारसूर, जिला दंतेवाड़ा.	1. नेउरनार	प. ह. नं.-2, रा. नि. म. दंतेवाड़ा.
2.	थाना मारडूम, तहसील व जिला दंतेवाड़ा.	थाना बारसूर, जिला दंतेवाड़ा.	1. टुण्डेर	प. ह. नं.-13, रा. नि. मं. बीजापुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

श्रम, खेल एवं युवक कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2002

क्रमांक 1443/1136/16-1/2002.—म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम सन् 1958 (क्र. 25 सन् 1958) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9, 11, 12, 13, 20 के प्रावधानों का प्रवर्तन नीचे दर्शाये गए परिशिष्ट-एक के स्तंभ क्रमांक (2) में अंकित वर्ष 2002 में आने वाले त्यौहार तथा विशेष अवसरों पर उसके सम्मुख स्तंभ क्रमांक (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इसी परिशिष्ट के स्तंभ (4) में दर्शित स्थानीय क्षेत्रों के लिए परिशिष्ट-दो में उल्लेखित शर्तों के साथ निलंबित करता है :—

परिशिष्ट-एक

क्रमांक (1)	सार्वजनिक त्यौहार तथा विशेष अवसर (2)	अवधि (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	मकर संक्रांति	01 दिन (14 जनवरी, 2002)	सभी स्थानीय क्षेत्र जहां अधिनियम प्रभावशील होता है.
2.	गणतंत्र दिवस	01 दिन (26 जनवरी, 2002)	—''—
3.	बसंत पंचमी	01 दिन (फरवरी, 2002)	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	इद-उल-जुहा	02 दिन (इल-उल-जुहा के दिन एवं इसके 1 दिन पूर्व अर्थात् 22 एवं 23 फरवरी, 2002).	सभी स्थानीय क्षेत्र जहां अधिनियम प्रभावशील होता है.
5.	महाशिवरात्रि	01 दिन (12 मार्च, 2002)	—"—
6.	मोहर्रम	02 दिन (मोहर्रम के दिन एवं एक दिन पूर्व अर्थात् 24 एवं 25 मार्च, 2002).	—"—
7.	होली	03 दिन (होली पूर्णिमा के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व एवं एक दिन पश्चात् अर्थात् 28, 29 एवं 30 मार्च, 2002).	—"—
8.	रंगपंचमी	01 दिन (4 अप्रैल, 2002)	—"—
9.	गुड़ी पड़वा	01 दिन (13 अप्रैल, 2002)	—"—
10.	रामनवमी	01 दिन (21 अप्रैल, 2002)	—"—
11.	महावीर जयंती	01 दिन (25 अप्रैल, 2002)	—"—
12.	ईद मिला दुन्नबी	01 दिन (25 मई, 2002)	—"—
13.	कबीर जयंती	01 दिन (24 जून, 2002)	—"—
14.	रथ यात्रा	01 दिन (12 जुलाई, 2002)	—"—
15.	हरियाली अमावस्या	01 दिन (23 जुलाई, 2002)	—"—
16.	स्वतंत्रता दिवस	01 दिन (15 अगस्त, 2002)	—"—
17.	रक्षाबंधन	03 दिन (रक्षाबंधन के दिन तथा एक दिन पूर्व एवं एक दिन पश्चात् अर्थात् 21, 22 एवं 23 अगस्त, 2002).	—"—
18.	जन्माष्टमी	01 दिन (31 अगस्त, 2002)	—"—
19.	पोला	02 दिन (पोला के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व).	—"—

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	गणेश चतुर्थी	02 दिन (गणेश स्थापना के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व अर्थात् 09 एवं 10 सितम्बर, 2002).	सभी स्थानीय क्षेत्र जहां अधिनियम प्रभावशील होता है.
21.	नवाखाई	01 दिन (13 सितम्बर, 2002)	—"—
22.	डोल ग्यारस	01 दिन (17 सितम्बर, 2002)	—"—
23.	अनंत चतुर्दशी	03 दिन (गणेश विसर्जन के दिन, एक दिन पूर्व एवं एक दिन पश्चात् दिनांक 19, 20, 21 सितम्बर, 2002).	—"—
24.	सर्वपितृ अमावस्या	02 दिन (सर्वपितृ अमावस्या के दिन एवं उसके एक दिन पूर्व).	—"—
25.	गांधी जयंती	01 दिन (2 अक्टूबर 2002)	—"—
26.	दशहरा	04 दिन (महाष्टमी के एक दिन पूर्व से दशहरा तक अर्थात् 12, 13, 14 एवं 15 अक्टूबर, 2002).	—"—
27.	दीपावली	07 दिन (लक्ष्मी पूजन के दिन तथा उसके 4 दिन पूर्व तथा 2 दिन पश्चात् अर्थात् 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक).	—"—
28.	देवउठनी एकादशी	01 दिन (14 नवम्बर, 2002)	—"—
29.	गुरुनानक जयंती	01 दिन (19 नवंबर, 2002)	—"—
30.	ईद-उल-फितर	02 दिन (ईद-उल-फितर के दिन एवं एक दिन पूर्व अर्थात् 5 एवं 6 दिसंबर, 2002).	—"—
31.	गुरु घासीदास जयंती	01 दिन (18 दिसंबर, 2002)	—"—
32.	क्रिसमस डे	01 दिन (25 दिसंबर, 2002)	—"—
33.	महादेवघाट	मेले की अवधि के लिए	रायपुर संभाग के लिए
34.	चैत्र नवरात्रि मेला	10 दिन मेले की अवधि के लिए	डोंगरगढ़ का स्थानीय क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	माघी पूर्णिमा मेला	मेले की अवधि के लिए	नयापारा-राजिम के स्थानीय क्षेत्र के लिए.

परिशिष्ट-दो

1. कोई भी स्थापना मध्य रात्रि 12.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक खुला नहीं रहेगा.

2. यदि किसी कर्मचारी को उक्त अधिनियम की धारा 11, 16 एवं 21 में उल्लेखित कार्यवाही से अधिक कार्य करना पड़ता है तो उसे अतिरिक्त कार्य के अधिनियम की धारा 55 के अनुसार वेतन देय है.

3. यदि इस निलंबन के द्वारा त्यौहार या विशेष अवसरों की अवधि में किसी सेवायुक्त को कोई कार्य करने के कारण साप्ताहिक अवकाश का लाभ नहीं मिलता है, तो त्यौहार या विशेष अवसरों में उसे उतने दिन का अवकाश दिया जावेगा जितने साप्ताहिक अवकाश के दिनों से वंचित रहा हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2002

क्रमांक 3626/डी-878/21-अ (स्था.)/छग.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अनुशंसा पर श्री चन्द्रभूषण बाजपेयी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर एवं श्रीमती रानू दिवेकर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की सेवाएं उच्च न्यायालय, बिलासपुर से छत्तीसगढ़ शासन को सौंपते हुए इनकी नियुक्ति विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप-सचिव के पद पर आगामी आदेश तक करता है.

रायपुर, दिनांक 17 मई, 2002

क्रमांक 3627/डी-878/21-अ (स्था.)/छग.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक-46/II-2-101/2001/गोप./2002, दिनांक 10-5-2002 के अनुपालन में श्री आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सचिव के पद पर अन्य आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई, 2002

क्रमांक 3686/डी-1231/21-ब/छग.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 44/11-2-17/2001, दिनांक 10-5-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती अमृता संजय लाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बिलासपुर की सेवाएं छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में विधि अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2002

क्रमांक 3809/डी-1249/21-ब (छग)/2002.—राज्य शासन, म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-42 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अनुसार श्री अम्बरीश कुमार पटेल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर द्वारा 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर लेने पर उन्हें दिनांक 17-7-2002 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2002

क्रमांक 3817/1279/21-ब (छग)/2002.—इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 (भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872) (क्रमांक 15, सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, डॉ. अजय एल. लाल मिड इंडियन क्रिश्चियन सर्विसेस, दमोह को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय ईसाईयों के बीच :—

(1) विवाह सम्पन्न कराने हेतु, तथा

(2) विवाहों के प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए,

अनुज्ञप्ति प्रदान करता है.

Raipur, the 31st May 2002

No. 3817 /1279/21-B (Chh.)/2002.—In exercise of the powers conferred by Sections, 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. XV of 1872), the State Government are pleased to grant licence to Dr. Ajay L. Lal MID Indian Christian Services, Damoh :—

(i) to solemnise Marriages; and

(ii) to grant certificate of Marriages between the Indian Christian in the whole of the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 3853/1278/21-ब (छग)/2002.—इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 (भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872) (क्रमांक 15, सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धन मसीह, भारतीय जनरल कान्फ्रेंस मेनोनाइट मण्डली, चांपा को छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा में भारतीय ईसाईयों के बीच :—

(1) विवाह सम्पन्न कराने हेतु, तथा

(2) विवाहों के प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए,

अनुज्ञप्ति प्रदान करता है.

Raipur, the 1st June 2002

No. 3853 /1278/21-B (Chh)./2002.—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. XV of 1872), the State Government are pleased to grant licence Paster Dhan Masih, Bhartiya General Conference Menonite, Church Janjagir-Champa,—

(i) to solemnise Marriages; and

(ii) to grant certificate of Marriages between the Indian Christian in the Janjgir-Champa.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2002

क्रमांक 3832/1164/21-ब (छग)/2002.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का संख्या-15) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) श्री डी. के. कुमार, मेनोनाइट चर्च मिशन कम्पाउंड, जांजगीर-चांपा के पास्टर को ल:

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और

(2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 31st May 2002

No.3832/1164/21-B/(Chh) 2002.—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. XV of 1872), the State Government are pleased to grant licence to the Minister of Religion Shri D. K. Kumar, menonite Church Mission Compound, Janjgir-Champa Disciples of Christ Church for the District of the State of Chhattisgarh.

(i) to solemnise marriages; and

(ii) to grant certificate of Marriages between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2002

क्र. 3939/519/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया की संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री मदनमोहन त्रिपाठी] लोक अभियोजक अंबिकापुर, सरगुजा को दिनांक 1-3-2002 से पुन: एक वर्ष की कालावधि के लिये अंबिकापुर सत्र खण्ड के अंबिकापुर राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 895/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	भण्डेरा प. ह. नं. 15	1.08	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	परसाडीह जलाशय में डुबान में आई जमीन.

भूमि का प्लान (नक्शा) अनुविभागीय अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. पी. सी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 मई 2002

क्रमांक 4196/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	रूपाकाठी प. ह. नं. 19	1.60	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग, राजनांदगांव.	सिंघोला, खुर्शीपार मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 जून 2002

क्रमांक 4718/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धार. [illegible] उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	मानपुर	दिघवाड़ी प. ह. नं. 19	0.90	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग, राजनांदगांव.	मोहला से खड़गांव मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, मोहला में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शास[illegible], [illegible]जस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2002

प्र. क्र. 9/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	हेड़सपुर प. ह. नं. 9	0.388	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2002

प्र. क्र. 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	रामाकापा प. ह. नं. 9	2.627	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2002

प्र. क्र. 11/अ- 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	करूपान उर्फ बामपारा प. ह. नं. 15	1.639	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2002

प्र. क्र. 12/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	करूपान प. ह. नं. 15	1.287	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2002

प्र. क्र. 13/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	टेमरी प. ह. नं. 15	1.493	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 मई 2002

प्र. क्र. 14/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	धनगांव प. ह. नं. 9	2.421	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 मई 2002

प्र. क्र. 15/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	चातरखार प. ह. नं. 9	0.295	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 मई 2002

प्र. क्र. 16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	झगरहटा प. ह. नं. 9	0.226	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 मई 2002

प्र. क्र. 17/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	करूपान प. ह. नं. 15	1.004	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 मई 2002

प्र. क्र. 18/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	चोरहा बुंदेली प. ह. नं. 9	0.356	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 मई 2002

प्र. क्र. 19/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	धनगांव प. ह. नं. 9	2.469	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

प्र. क्र. 20/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बाघामुड़ा	5.07	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

प्र. क्र. 21/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	[illegible]	1.23	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक 8/अ-82/2001-2002 सा.-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	कौड़िया	1.773	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक 9/अ-82/2001-2002 सा.-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	परसाही	0.737	महाप्रबंधक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सीपत.	नाला चौड़ीकरण निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक 10/अ-82/2001-2002 सा.-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	कर्रा	5.874	महाप्रबंधक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सीपत.	नाला चौड़ीकरण निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक 11/अ-82/2001-2002 सा.-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	दवनडीह	8.203	महाप्रबंधक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सीपत.	नाला चौड़ीकरण निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक 12/अ-82/2001-2002 सा.-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तुरी	सीपत	2.145	महाप्रबंधक, एन. टी. पी. सी., सीपत.	सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 13 जून 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/91-92.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	1.766	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), जगदलपुर.	बडांजी कुम्हली पहुचमार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 8 जून 2002

क्रमांक 550/रीडर/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांकेर	भानुप्रतापपुर	चौगेल	0.74	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग कांकेर.	राजनांदगांव बैलाडीला मार्ग कि.मी. 92/2 पर मध्यमपुल के पहुंचमार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 मई 2002

क्रमांक 01/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पकरिया, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.081
2	0.081

(1)	(2)
3/1	0.053
3/3	
3/4	0.028
4	0.081
योग 5	0.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलतरा करूमहूं मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 मई 2002

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2001-2002 सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.397 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
262/1ग	0.397
योग 1	0.397

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदीटार बांध जलाशय योजना के अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 203/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-जुड़गा, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.679 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
808/1	0.121
809/1	
810/1	
811/1	
808/5	0.259
809/5	
810/5	
811/5	
814	0.178
815	
816	
817	
808/2	0.040
809/2	
810/2	
811/2	
808/3	0.081
809/3	
810/3	
811/3	
योग 5	0.679

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 204/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जोगरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.625 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/2	0.458
7	0.101
82	0.117
8/2	0.405
11	0.190
155	0.016
9	0.073
10/1	0.024
10/2	0.101
15	0.202
29/1	0.275
29/3	0.369
154	0.016
170	0.028
30	0.380
31	0.117
32	0.016
34	0.028
35/1	0.049
58	0.162
59	0.202
63	0.299
62	0.020
156	0.057
74	0.081
76	0.190
176	0.081
26	0.032
153	0.016
173	0.093
171	0.028
172	0.057
10/2	0.101
10/4	0.028
10/5	0.101
152	0.040
144/1	0.012
144/2	0.012
144/3	0.012
145	0.016
योग 40	4.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 205/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-चमरवाह, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.130 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1, 2, 3	0.425
38/1, 39/1	0.061
41/1	0.049
44/1	0.243
40/2	0.089
41/2	0.032
44/2	0.231
योग 7	1.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 206/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-चमरवाह, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.148 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44/3, 45	0.008
51/2	0.121
306	0.304
46	0.191
52/4	0.129
234/2	0.085
58/1, 58/2	0.089
289/1	0.158
289/2, 290/1	0.081
290/2, 292	0.324
291	0.182
322, 323	0.085
297/1	0.012
298/1	0.125
297/2	0.004
298/2	0.001
366/1	0.142
366/2	0.146
55	0.142
53/2, 54/2	0.032
361/1	0.121
53/3, 54/3	0.073
53/1, 54/1	0.202
226, 238	0.255
235/1, 57/1	0.198
239	0.182
280/2	0.142
235/2, 57/2	0.287
235/3, 57/3	0.093
293/3	0.101
287/2	0.121
57/4, 235/4	0.146

(1)	(2)
235/5, 57/5	0.174
308/3	0.344
316/1, 320/1, 321/1	.0.061
233/2	0.121
231/1	0.121
227	0.138
230	0.308
331	0.182
62/2, 73/1, 221/1, 72/5, 73/2, 228/2, 229/2	0.335
231/2	0.085
261/3	0.109
262/4	0.077
65	0.020
308/1	0.129
308/2	0.065
316, 317, 318, 319, 320, 321/2	0.619
288/1	0.218
309/1	0.073
309/2	0.121
326, 327	0.405
328	0.024
293/4	0.405
293/2	0.081
335	0.101
361/2	0.405
362/1	0.409
362/2	0.405
363/1	0.567
363/3	0.061
363/4	0.162
293/5	0.093
310/2	0.089
351/4	0.138
362/3	0.061
295, 325, 330	0.190
योग 67	11.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण-भू अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

रा. प्र. क्र. 03/अ 82/2001-2002/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बोकरेल, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.486 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
433	0.486
योग 1	0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-कर्रापाली जलाशय डुबान.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 162/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-बोरसी, प. ह. नं.20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.594 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1644	0.069
1643/1	0.008
1645/4	0.008
1645/1	0.101
1647	0.142
1646/1 ग	0.024
1648/3	0.085
1648/2	0.004
1649	0.040
1552	0.089
1572	0.093
1507/2	0.024
1568	0.138
1566/1	0.020
1508/1	0.077
1560	0.053
1561	0.008
1553	0.053
1559	0.097
1554/1	0.016
1694	0.012
1695/2	0.065
1698/1	0.016
1698/2	0.012
1687	0.004
1538	0.008
1699/1	0.069
1699/2	0.073
1539	0.004
1536	0.053
1534	0.020
1537	0.105
1531	0.004
योग 33	1.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 163/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-गतवा, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.460 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
960/2	0.008
962/2	0.028
972/2	0.053
959	0.004
963	0.032
964	0.061
965	0.065
966	0.036
957	0.004
961	0.045
971/3	0.089
971/1	0.028
972/1	0.004
976/1	0.036
976/2	
977	0.028
1043/1	0.057
1043/2	
998/1	0.004
1046	0.028
1047	0.036
1048	0.049
1057	0.202
1058	
1059	
1103	
1050	0.028
1051/2	0.004
1052/1	0.117
1053	0.024
1056	
1104	0.057
1102	0.004
1105	0.069
1107	0.008
1108	0.061
1109	0.012
1110/1	0.004
1006	0.049
1049	0.073
1044	0.049
1045	0.004
योग 36	1.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. के माईनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 164/भू-अ/प्र.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-मौहाडीह, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.902 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132	0.008
106	0.008
134	0.036

(1)	(2)
110/1	0.032
131/1	0.069
110/2	0.032
131/2	0.069
110/3	0.016
131/3	0.024
110/4	0.016
131/4	0.024
110/5	0.016
131/5	0.024
110/6	0.032
131/6	0.069
130	0.138
125	0.008
126	0.049
127/1	0.040
127/2	0.040
128	0.077
112/2	0.028
267/1	0.045
426/1	0.016
112/3	0.028
425/2	0.016
426/2	0.020
112/4	0.028
267/2	0.045
245/3	0.040
107/1	0.008
107/2	0.004
107/3	0.004
248/3	0.045
105	0.081
102/1	0.020
479/1	0.045
102/2	0.020
279/2	0.045
102/3	0.020
479/3	0.045
102/4	0.016
102/5	0.016
279/4	0.129
102/6	0.028
261	0.040
262/2	0.032
262/3	0.008
260	0.004
268	0.069
427	0.004
269	0.061
281/1	0.085
281/2	0.085
112/1	0.028
425/1	0.036
383	0.069
384/1	0.012
384/3	0.053
420/2	0.049
385/1	0.069
403/1	0.061
403/2	0.101
399	0.008
398	0.028
420/1	0.045
419	0.154
490	0.073
492	0.081
491/1	0.008
480/1	0.004
502	0.004
480/2	0.012
योग 73	2.902

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-विर्रा डि. ब्यू. के माईनर नं. 4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 165/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
 (ख) तहसील-चाम्पा
 (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 3
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.166 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1306/14	0.166
योग 1	0.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बालपुर माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 166/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
 (ख) तहसील-चाम्पा
 (ग) नगर/ग्राम-पचोरी, प. ह. नं. 12
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.032 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113/12	0.065
110/1 क	0.401
68/11 68/16	0.004
112/1	0.138
113/1	0.154
140	0.129
141/4	0.097
113/2	0.008
142/3	0.036
योग 9	1.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-पचोरी डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 167/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-पिपरदा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.258 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
116/13	0.089
151	0.162
154	0.008
योग 3	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-हथनेवरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 168/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सोठी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.376 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
464/10	0.053
464/11	0.020
501/5	0.093
464/9	0.004
489/2	0.020
492	0.101
494/2	0.085
योग 7	0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-हथनेवरा माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 169/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.093 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
429/1	0.008
429/2	0.121

(1)	(2)
427/1	0.061
427/2	0.061
428	0.105
424	0.089
423/1 क	0.049
423/1 ख	0.049
423/2	0.065
438/1 क	0.121
438/2	0.142
482/2	0.016
338/2	0.012
439	0.073
384/1	0.101
387/2	0.178
384/2	0.101
383/1	0.040
383/5	0.045
383/6	0.057
383/8	0.057
362/1	0.077
361	0.049
474	0.028
159	0.032
357/1	0.121
356	0.085
480/2	
383/2	0.016
383/3	0.053
383/7	0.081
योग 30	2.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लखाली माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 170/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.668 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1140	0.170
1141	0.008
1142	0.186
1162/1	0.134
1161/1	0.053
1160	0.053
1164/1	0.004
1165	0.182
1169/1	0.061
1168/1	0.113
1168/2	
1167/1	0.073
1175/3-4	0.129
1176/2	0.012
1176/9	0.061
1176/11	0.036
1182/3	0.069
1182/5	0.049
1193	0.053
1181/3	0.129
1192/3	0.016
1182/1	0.020
2203/5	0.113

(1)	(2)
1182/4	0.101
1188/1	0.020
1188/4	0.134
1188/2	0.069
1188/3	0.045
2208	0.154
2207/1	0.024
1261/3	0.057
1260/6	0.077
1260/4	0.045
1263/16	0.024
1263/17	0.061
1264	0.057
2982/1	0.069
2182/2	0.028
2180/2	0.045
2180/3	0.077
2180/4	0.053
2185	0.049
2179/3	0.097
2186/1	0.012
2186/2	0.065
2187/1	0.121
2188/1	0.012
2175/3	0.109
2174	0.129
2172	0.105
2171	0.105
योग 50	3.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नकटाकला माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 171/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी पठान, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
495/1	0.061
योग 1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हरदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 172/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-पलाड़ी खुर्द, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.299 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
575/1 ख	0.299
योग 1	0.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पलाड़ी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 173/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-डूमरापारा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.284 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
264	0.049
152/1	0.081
151/2	0.105
128/4	0.049
योग 4	0.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पलाड़ी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 174/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नया बाराद्वार, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238	0.049
योग 1	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 175/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दर्रा भाठा, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.271 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150/1	0.117
150/4	0.154
योग 2	0.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 176/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
116/2	0.040
योग 1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जर्वे शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 177/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नगरदा, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/1	0.388
योग 1	0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 178/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियमं, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सिधनसरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.831 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93	0.004
1170/3	0.069
1170/4	
1173/1	
1173/2	
95	0.182
96	0.016
97/2	0.004
99/1	0.049
99/2	0.032
100/1	
100/2	0.065
101/1	0.049
102	0.097
123/7	
1156	0.008
1157	
104/2	0.097
105	0.077
110	0.097
111	
113	0.089
160	0.243
162	0.008
976	0.146
997	0.020
157/2	0.045
977	0.012
978	
979/1	
991/1	0.004
992	
994	0.028
993	0.032
995	0.020
996	0.073
998	0.012
999	0.089
1155	0.016
166	0.032
1016	0.008
161/1	0.028
1017/1	0.057
1181/1	0.008

(1)	(2)
1017/2	0.057
1017/3	0.057
164	0.040
1018	0.202
1070/1	0.008
1070/2	0.008
1017/3	0.154
1070/4	0.004
1072	0.162
165	0.004
157/1	0.045
1089	0.194
1091 1092	0.170
1142/4	0.032
1093	0.073
1094/2	0.016
1094/1 1194/1 ख	0.040
1097/1	0.016
1095/1 1142/1	0.113
1140	0.073
123/6 124	0.004
1139	0.004
116	0.004
115	0.012
1148/1	0.004
1148/2 1152/2	0.040
1149/1	0.040
1149/2	0.040
1150/1	0.040
1150/2 1151/1	0.008
1153	0.004
1154/1	0.036
1154/2	0.036
1017/2 1180/1	0.138
1070/8 1180/2	0.020
1179	0.020
1070/5	0.097
योग 71	3.831

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सक्ती उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 179/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.108 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
143/1	0.085
147 148/2	0.174
138/2	0.004
143/2	0.097
143/3	0.073
589	0.028
641	0.028
642	0.024

(1)	(2)
146	0.004
744	0.036
149	0.016
152	
216	0.008
220	0.109
719/2	0.032
219	0.065
221	0.065
222/2	0.012
222/3	0.040
223	0.312
241	0.008
249	0.117
583	0.105
593	0.032
584	0.016
591	0.032
137	0.057
595	0.012
633	0.036
640	0.024
637	0.077
639	0.105
603	0.053
610	0.142
638	0.032
742	0.053
612	0.032
643/2	0.089
643/3	
655	0.028
644	0.045
647	0.028
650	0.065
654	0.008
711/2	0.138
711/3	0.109
715	0.085
718/1	0.049
1400/2	0.040
719/1	0.024
1445/1	0.158
1445/2	
743	0.085
1283/2	0.073
1442/1	0.097
1455	0.053
1284	0.061
1285	0.178
1370	0.089
1443/1	0.158
1372/6	0.113
1374/1	0.020
1378/1	
1374/2	0.061
1377/1	
1399/2	0.073
1344/1	0.069
1456	0.081
1484	0.008
1457/2	0.045
1588	0.053
1456	
1505	0.024
1510/2	0.093
1510/3	0.101
1511	0.024
1521	0.073
1522	0.049
1517/2	0.008
1520	0.101
1523	0.040
1530	0.121
1092	0.146
1093	
योग 77	5.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सक्ती उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 180/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सुकुल पारा, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.590 हे..

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2195/1	0.036
2208	0.045
2209	0.032
2210/1	0.040
2214/1	0.036
2215	0.004
2216	0.105
2224	0.036
2225	
2217	0.020
2218	0.028
2219	0.040
2220/1	0.008
2478	0.089
2486	0.024
2226/1	0.004
2488	0.089
2609	0.045
2585	0.065
2615	0.045
2613	0.053
2612	0.040
2608	0.026
2610	0.057
2221/1	0.012
2221/2	0.012
2616/1	0.040
2222/1	0.012
2222/2	0.012
2223/1	0.016
2223/2	0.016
2459	0.283
2479/1	0.016
2479/3	0.016
2475	0.085
2476	0.016
2487	0.097
योग 36	1.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरौद सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 181/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सुकुल पारा, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.973 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2327	0.024
2340	0.020
2338	0.008
2339	0.012
2346/1	0.036
2347	0.004
2337	0.040
2348	0.061
2352	0.004
2351/1	0.028
2351/2	0.036
2358	0.036
2362	0.028
2367/2	0.049
2368, 2369	0.012
2370	0.069
2421	0.012
2371	0.020
1991/1 ख	0.223
2700/2	0.049
2701, 2702/5	0.040
2702/1 क	0.069
2364	0.028
2398, 2702/4	0.065
योग 24	0.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरोद सब माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 182/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-राहौद, प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.408 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
200/2	0.085
200/3, 200/4	0.121
200/6	0.085
200/8	0.077
432/3 ख	0.040
योग 5	0.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राहौद माइनर नं.1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 183/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-चंडीपारा, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
68/3	0.077
68/2	0.024
107/1	0.040
योग 3	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चंडीपारा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 184/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.251 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
389/1	0.198
191	0.053
योग 2	0.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भवतरा उप-शाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 185/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-धरदेई, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.312 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
532/1	0.247
1150	0.065
योग 2	0.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-धरदेई माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 186/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1216/2	0.065
योग	1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पोड़ी माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 187/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पचरी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	452/1	0.109
योग	1	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हेडसपुर माइनर के भलवाही माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 188/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-पिपरसत्ती, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
632/1	0.113
योग 1	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पिपरसत्ती माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 189/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जैंजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ठूठी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.458 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
667	0.045
665/1	0.065
670	0.053
668	0.012
673/2	0.024
675/2	0.073
678	0.097
675/1	0.016
672/2	0.073
योग 9	0.458

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकलसरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 190/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.691 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2873/1	0.158
2873/2	0.016
2873/3	0.040
2874/1	0.040
2872/1	0.069
2893	0.053
2894/1	0.113
2875/1	0.032
3212	0.138

	(1)	(2)
	3096	0.032
योग	10	0.691

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकलसरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 191/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धवरा भाठा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.711 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	206	0.028
	207	0.016
	212/1	0.008
	212/2	0.004
	213	0.089
	214/1	0.105
	214/2	0.032
	216	0.073
	285	0.097
	283	0.061
	284	0.085
	282	0.004
	105/1	0.032
	205/2	0.012
	205/3	0.065
योग	15	0.711

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टूठी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 192/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दर्रा भाठा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.286 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
934/2	0.065
932/3	0.101
932/2	0.109
930	0.004
928	0.202
925/1	0.016

(1)	(2)
923/1	0.016
925/2	0.004
926	0.138
916/1	0.162
916/2	0.012
916/3	0.162
915/2	0.121
917/2	0.004
912/10	0.024
912/14	0.061
913/4, 914/4	0.049
913/3, 914/3	0.036
योग 18	1.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टटारी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 193/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-सारागांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2270	0.040
1800/2	0.097
1801/2	0.026
2188/2	0.024
1832, 1833	0.073
योग 5	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसापाली डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 194/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-अफरीद, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.145 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1332/1, 1333/3, 1334/2	0.045

(1)	(2)
1333/3 1334/1	0.073
1335	0.057
1348/2	0.113
1350/1	0.113
1482	0.045
1352/1	0.036
1481/1	0.040
1475	0.045
1474	0.045
1480	0.036
1477/1	0.032
1465/2 1645/3	0.178
1466/2	0.129
1455	0.158
योग 15	1.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अफरीद माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 195/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-उच्च भिट्ठी, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.231 है.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
278/3	0.061
370	0.065
387/2	0.105
योग 3	0.231

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सिवनी डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 196/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-शीलादेही, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.153 है.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
15	0.020
14/2	0.061
14/1	0.036
12	0.008
10/3	0.040
9/5	0.004

(1)	(2)
9/4	0.045
6	0.053
13/2 13/3	0.093
3 4/2	0.028
4/1	0.109
70 71/1	0.057
71/2 72/1	0.057
105	0.008
73/1	0.077
79 80	0.081
83/1	0.008
83/2	0.069
82/1	0.020
86	0.065
106	0.036
107	0.020
108/1	0.040
108/2	0.057
109	0.057
120	0.004
योग 26	1.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिर्रा डि. ब्यू. के माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 197/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-हथनेंवरा, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.449 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1416	0.178
1422/1	0.053
1426/1	0.012
1406/4	0.105
1406/5	0.061
1420/1 1420/2	0.040
योग 6	0.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोंठी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 198/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.027 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
924/1 क	0.081
929/2 क	0.020
924/2 ख	0.057
923/1 क	0.020
923/1 ख	0.008
923/1 ग	0.077
921/1	0.020
921/2	0.065
1282/1 ख	0.065
906	0.016
902/1	0.008
904/1	0.089
904/2	0.020
903/1	0.077
903/2	0.045
903/3	0.045
1420/3	0.036
1284/1 क	0.081
1284/2	0.081
1284/3	0.069
1285/2	0.020
1282/1 क	0.057
1281/3	0.097
1281/1 ख	0.065
1292/5	0.049
1292/4	0.032
1292/2 क	0.020
1280/2	0.016
1280/4	
1417/1 क	0.069
1417/2	0.024
1418	0.069
1416/2	0.129
1419/1	
1420/1	0.036
1420/2	0.008
1420/4	0.097
1504/3	0.016
1420/5	0.008
1420/7	0.073
1499/2	0.057
1504/2	0.105
योग 40	2.027

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चोरिया सब माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 199/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील- चांपा

(ग) नगर/ग्राम-झर्रा, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.740 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85/1	0.024
86	0.004
87/1	0.121
87/2	0.065
43/7	0.032
89	0.065
90	0.049
43/5	0.170
91/2	0.016
93/2	0.016

(1)	(2)
43/6	0.073
43/14	0.081
43/9	0.077
95	0.053
96	0.053
31	0.194
30/2	0.065
15/7	0.073
261/2	0.186
162/2	
15/20	0.040
15/22	0.045
15/2	0.016
15/3	0.020
219/1	
265/16	0.097
265/2	0.073
263/10	0.024
[illegible]	[illegible]
93/1	0.008
योग 78	[illegible]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लखाली वितरक नहर के माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 200/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.892 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
614/6	0.121
613/3	0.174
616/2	0.190
628	0.186
627/2	0.105
627/3	0.040
627/1	0.154
644/10	0.045
644/8	0.129
644/1	0.040
644/12	0.077
645/1	0.162
645/2	0.073
575/10	0.008
644/2	0.105
578/1	0.012
578/2	
645/2	0.008
573	0.259
644/2	0.032
644/14	
644/15	
665/1	0.117
669/1	0.142
669/6	0.162
670/1	
574	0.077
575/18	0.077
575/14	0.154
575/25	0.008
575/13	0.004
575/11	0.089

(1)	(2)
575/3	0.142
योग 29	2.892

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अफरीद वितरक नहर के माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 201/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.488 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/5	0.008
22/4	0.016
22/3	0.008
23/3	0.004
25	0.061
24	0.008
61	0.251
62	0.105
238	0.194
242	0.186
241	0.004
243/2	0.045
244	0.182
247/2	0.020
247/12	0.186
254/2	0.125
254/1	0.012
255	0.073
योग 18	1.488

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकलसरा माइनर नं.1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 202/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभाठा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.157 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
941/2	0.004
941/1	0.049

(1)	(2)
942/1	0.032
943/1	0.012
943/2	0.121
943/3	0.004
944	0.073
945	0.020
946	0.251
1014	0.227
1015	0.210
1018/1	0.057
1018/2	0.012
1024	0.085
योग 14	1.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकलसरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 207/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-कान्दा नारा, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.724 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1	0.194
3/2	0.032
4, 5, 6/1	0.142
10	0.194
11/1	0.061
11/2	0.081
12/1	0.020
योग 7	0.724

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सक्ती उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 208/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-नन्देली, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.719 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57	0.024

(1)	(2)
53/2	0.016
53/3	
51/1	0.061
51/2	0.061
58	0.008
45	0.117
46	0.202
63	0.243
47/1	0.012
47/2	0.077
75/1	0.202
75/3	0.081
77	0.024
70/1	0.324
71	0.024
72	0.040
78	0.073
70/2	0.105
97	0.093
96	0.032
98/6	0.069
126/3	0.101
126/4	0.105
127/3	0.101
144	
129	0.170
130/1	0.174
143	0.004
183/1	0.182
194/1	0.125
194/2	
194/3	
193/1	0.142
193/2	0.049
195/1	
198/2	
206	0.040
211/1 क	0.077
211/1 ख	0.045
211/2	0.073
211/3	0.061
214	0.206
216	0.012
215/1	0.219
223/1	0.263
223/2	0.134
227/3	0.093
258/8	0.020
229	0.016
230	0.150
231	
232	0.020
251	0.150
250/1	0.117
248/2	0.206
233	0.129
250/3	0.174
247/3	0.101
247/5	0.129
247/2	0.142
247/4	0.101
योग 55	5.719

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सर्रा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 209/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मसनिया खुर्द, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.577 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53/2	0.794
53/1	0.061
47/2	0.134
49/1	0.008
46/1	0.255
41	0.218
42/1	0.162
347	0.061
38/3	0.150
322/2	0.243
369/1	0.057
368/1	0.020
376/1	0.218
369/4	0.085
131	0.113
132/1	0.700
136	0.243
348	0.061
375	0.020
344/1	0.032
344/2	0.146
344/3, 344/4	0.259
324/3	0.012
322/1	0.445
371	0.218
370	0.299
374	0.008
377/1, 377/3	0.324
343	0.231
योग 29	5.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 210/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-मांझापारा, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.297 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
221/3, 222	0.008
220	0.028
217/1, 217/3, 218	0.061
217/2	0.045
241/1	0.024
241/2	0.024
242/3	0.016
242/1	0.077
279/1, 280/1	0.040
279/3, 280/6	0.032

(1)	(2)
284/4	0.036
281/1 280/5	0.032
281/2	0.097
284/1	0.032
286	0.065
305/1	0.057
305/2	0.032
306	0.057
329	0.146
307	0.097
327	0.045
326/3 326/4	0.016
326/1	0.020
306/2	0.028
325/2	0.016
325/5	0.049
325/9	0.049
323	0.028
324	0.032
281/3	0.004
183/1	0.004
योग 31	1.297

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरौद सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 211/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-अकलसरा, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.340 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
421/1	0.040
421/2	0.170
422	0.061
421/3	0.024
1319/1	0.142
421/4	0.085
406	0.093
424/1	0.004
421/1	0.008
393	0.142
435	0.049
436/3	0.008
436/2	0.004
437/1	0.012
436/2	0.040
439/5	0.085
439/6	0.113
440	0.109
438/2	0.040
441/1	0.040
441/2	0.061
442/2	0.024
442/14	0.089
442/9	0.036
442/13	0.073
467/1	0.154
381/1 470/1	0.352
473/3	0.081
473/4	0.057
472	0.138
471	0.109

(1)	(2)
370/4	0.049
370/2	0.045
371/1	0.020
370/1	0.045
371/2	0.125
364/1	0.053
368	0.109
366	0.121
357	0.004
315/1	0.024
322	0.085
315/2	0.053
341	0.004
318/2	0.093
317	0.053
324/1	0.085
324/2	
325/4	0.081
325/1	0.008
280/1	0.186
280/3	
690	0.089
701/1	0.073
701/2	0.061
702	
716	0.008
954	0.259
955/3	0.109
955/5	
955/1	0.113
1303/1	0.081
956/1	0.028
956/11	0.081
956/12	0.129
956/3	0.069
956/2	0.081
947/2	0.024
949/1	0.077
950/2	
947/3	0.024
948	0.271
908	0.154
1248/1	0.117

(1)	(2)
1250/2	0.020
1251/2	0.012
1251/1	0.089
1252	0.178
1321	0.053
1320	0.146
319/3	0.142
1319/4	0.089
1302	0.008
1303/1	0.081
1303/3	0.097
1303/2	0.057
1304/1	0.097
1304/2	0.065
1305/1	0.348
1305/2	0.008
1295	0.287
1294/1	0.134
436/6	0.020
436/4	
701/3	0.057
713	0.061
715	0.028
705	0.012
709/3	0.081
726/1	0.008
710/1	0.061
710/2	0.004
394/1	0.077
711/1	0.008
394/2	0.036
411	0.089
469/2	0.093
353/1	0.259
353/2	
योग 102	8.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकलसरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 212/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी पठान, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.061 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
200/1	0.057
198/1	
197/1	0.069
195/4	
197/2	0.085
195/5	
196	
195/9	0.045
194/2	
194/1	0.045
195/5	
195/8	0.040
211/1	0.113
210	0.101
294	0.049
292/1	0.085
317	0.073
70/1	0.085
315	0.032
295	0.061
69/2	0.121
योग 15	1.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुम्हारी पठान नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 213/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-बाराद्वार बस्ती, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.480 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
906/4	0.020
991/1	0.032
1031/1	
1032/1	
1030/2	0.069
1030/1	0.117
1029	0.105
1028/7	0.016
1028/4	0.061
1034	0.223
1035	
1036	
1016/1	0.061
1040/1	0.036
1041	0.045

(1)	(2)
1042/4	0.024
1046/1	0.097
1046/2	0.089
1044	0.004
1045/1	0.020
1059/2	
1052	0.020
1056	0.040
1057	
1072	0.040
1074	0.057
1075	0.053
1086/4	0.065
1086/5	0.016
1143	0.053
1042/2	0.053
1146	0.053
1139/1	0.032
1139/2	0.004
1138/3	0.097
1138/4	
1138/5	
1139/3	0.105
1134/3	0.073
1134/4	0.073
1133	0.004
1166/3	0.020
1765/2	0.162
1765/1	0.101
1807	0.028
1808/4	0.085
1806/3	0.020
1808/2	0.053
1809	0.053
1053	0.036
1058	
1033	0.065
योग 43	2.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बाराद्वार माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 214/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-पलाड़ीकला, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.328 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1300/1	0.053
1303	0.020
1300/4	0.097
1466/3	0.158
योग 4	0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पलाड़ी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 215/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कनस्दा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.902 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
194/6	0.032
225	0.142
213	0.036
214/1	0.069
220/2	0.146
217/1	0.133
217/2	0.004
218/1	0.069
217/7	0.080
217/6	0.061
217/5	0.061
217/4	0.053
224/2	0.008
215	0.008
योग 14	0.902

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कनस्दा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 216/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-लवसरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.196 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
862	0.008
861	0.020
865	0.012
869/2	0.020
869/1	0.040
868	0.008
866	0.020
863	0.032
864	0.036
योग 9	0.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसदा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 217/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-भागोडीह, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.181 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82/3	0.020
84/4	0.065
84/10	0.085
84/9	0.089
82/6	0.004
88/2	0.085
88/1	0.089
88/7	0.053
88/17	0.089
88/10	
153/3	0.202
160	0.222
158/2	0.089
158/4	0.028
175/2	0.045
158/5	0.012
158/6	
155/2	0.004
योग 16	1.181

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भागोडीह माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 218/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-दुरपा, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
844/1	0.093
844/5	0.012
844/3	0.077
846/2	0.020
योग 4	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भागोडीह माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 219/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.686 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1163/1	0.069
1162/3 1163/3	0.049
1162/5	0.081
1165/10	0.004
1165/3	0.069
1165/5	0.073
1165/4	0.049
1166/1	0.069
1166/2	0.061
1165/2	0.065
1174/2	0.097
योग 11	0.686

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भागोडोह माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जून 2002

क्रमांक 220/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-कोसमन्दा, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2831 2832/1, 2	0.174
2833/5	0.105
2833/8	0.101
योग 3	0.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपा शाखा नहर के माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 221/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-कैथा, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.604 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
907/1	0.032
907/2	0.069
908/1	0.065
908/2	0.077
922	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
924/3	0.032	1149/2	0.129
925		1195/1	0.004
924/6	0.024	1196/2	0.125
925/6		1410	0.016
923	0.202	1409	0.028
924/1	0.073	1198	0.089
925/1		1200/1	0.004
924/5	0.036	1200/2	0.004
925/5		12001/2	0.032
924/2	0.032	1203/2	
925/2		1202	0.093
924/4	0.032	1401	0.134
925/4		1406	0.004
926	0.081	1703	0.061
927	0.073	1455/2	0.004
1718	0.024	1407	0.061
928/1	0.008	1713	0.093
928/2	0.008	1408	0.081
930	0.004	1412/1	0.004
1403/2	0.004	1412/2	0.004
1403/1	0.012	1428/1	0.008
928/3	0.008	1413/3	0.004
928/4	0.008	1428/2	0.008
1201/1	0.008	1412/4	0.004
1203/1		1428/3	0.008
1403/3		1412/5	0.008
931	0.081	1415	0.057
953/2	0.109	1416	
958/2	0.008	1417/1	0.053
952	0.030	1727/3	0.040
957	0.040	1199	0.138
951	0.040	1204/4	0.004
1405	0.004	1417/2	0.065
950	0.101	1451/1	0.121
1411	0.012	1450/1	
1413	0.053	1449/1	
1414		1448/1	
958/1	0.004	1440/1	
1200/5		1446/2	0.036
971	0.113	1447/2	0.117
968	0.210	1448/2	
969/2	0.049	1449/2	
1151/1	0.134	1450/2	
		1451/2	

(1)	(2)
1152	0.004
1421/1	0.012
1421/2	
1422	
1423	
1404/1	
1424/2	
1435/2	
1435/3	
1329/1	0.016
1429/2	0.020
1430/1	0.040
1431	0.028
1432	0.020
1433	0.012
1728/3	0.008
1842	0.012
1843	
1844	
1714/2	0.016
1715	0.024
1704	0.036
1705	0.101
1434	0.012
1435	0.040
1436	0.223
1439	
1440	
1737	0.364
1738	
1729/3	
1418	0.024
1716	0.008
योग 92	4.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कैथा उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 222/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-कैथा, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.849 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1068/1	0.008
1068/2	0.089
1067	0.028
1060	0.012
1059	0.113
1056	0.016
1057	
1055	0.129
1054	0.057
1042	0.093
1037/1	0.162
1038/1	
1039/1	
1040/1	
1043/1	
1044/1	
1045/1	
1046/1	
1047/1	

(1)	(2)
1037/5	0.0142
1038/7	
1039/7	
1040/7	
1043/5	
1044/5	
1045/5	
1046/5	
1047/5	
योग 11	0.849

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झरप माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान्) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 223/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-कैथा, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.142 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
714/3	0.057
712/2	0.166
712/3	0.077
708/2	0.105
708/1	0.089
34/1	0.077
34/2	0.061
36	0.032
35	0.065
39/3	0.049
39/1	0.129
12/2	0.093
12/1	0.093
12/3, 4	0.049
योग 14	1.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गुडरूकला माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 224/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-मल्दाकला, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.536 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1866	0.081

(1)	(2)
1832	0.049
1831/2	0.004
1830	0.024
1869/1	0.032
1869/2	0.032
1829	0.040
1783	0.218
1791	0.146
1886/3	0.069
1787	0.049
1790	0.129
1771/1	0.125
1792/1	0.004
1772	0.202
1762/1	0.186
1762/2	0.036
2051/2	0.146
2052/2	0.049
2052/1	0.024
2056/1	0.125
2056/2	0.065
2056/3	0.057
2057/1	0.008
2045/1	0.053
2045/2	0.020
2045/3	0.101
2040/1	0.012
2046/1	0.085
2046/2	0.057
1868	0.028
2130	0.146
2044	0.069
2174	0.049
2125/1	0.065
2126/1	0.004
2126/2	0.053
2129	0.004
2172	0.065
2171	0.065
2170	0.170
2158	0.251
2159/1	0.089
2159/2	0.089
1773/2	0.004
2121	0.117
2032	0.008
2040/2	0.012
योग 48	3.536

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्दा माइनर (हसौद वितरक नहर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 225/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सकरेली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179	0.040
347/5	0.081
1377/6	0.057
योग 3	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जेठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 226/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-तुस्मा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.785 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
776/1	0.065
777/1	
776/2	0.057
777/2	
781/1	0.093
845/1	0.093
782/1	0.295
782/3 क	
782/3 ख	
832	
833	
844	
845/2	
846	
847	
848	
849/3	
824	0.490
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
849/2	
816/3	0.397
822	
823	
807	0.295
808/1	
809	
810	
816/2	
820	
821	
योग 8	1.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरौद सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 227/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.858 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1109/1	0.004
1108/3	0.049
1107	0.028
1106/1	0.231
1106/2	0.061
1000/1, 1001/2	0.129
1001/1	0.045
1001/3	0.012
1002	0.097
1018/1	0.032
1016	0.040
1019/2	0.008
1015	0.073
902/2	0.016
802/3	0.020
1014	0.089
981	0.194
1021/3	0.028
810	0.032
811	0.061
812	0.020
805	0.032
804/1	0.032
804/2	0.061
802/1	0.036
803	0.061
831/1	0.101
831/2	0.016
830	0.049
829	0.142
776	0.024
777	0.008
778/1	0.020
778/3	0.045
487	0.028
485/3	0.008
486/2, 486/3	0.016
486/1, 488	0.024
485/5	0.069
484/2	0.045
484/1	0.032
417	0.004
486/6	0.061
414	0.016
424	0.024
432/3	0.008
421	0.040
422	0.077
423	0.045
425	0.077
426	0.134
457	0.012
456	0.004
431	0.028
433	0.024
434	0.008
435	0.073
459	0.012
458	0.012
436	0.036
437	0.045
योग 61	2.858

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-ठठारी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 228/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.177 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
477/1	0.138
151	0.016
152	0.040
153	0.004
486	0.049
154/1, 154/2	0.113
155	0.032
157	0.016
156	0.036
466/3	0.202
466/1	0.057
466/2	0.016
469/2	0.008
465	0.040
467	0.016
468	0.073
470	0.049
473	0.049
474	0.073
476	0.016
475/1	0.057
507/1, 507/2, 507/3	0.081
512	0.004
513/1	0.170
521	0.113
1639	0.049
1641	0.138
1642	0.024
1644	0.008
1670	0.073
1671	0.065
1669	0.004
1673	0.049
1672	0.210
1674	0.020
2265/3	0.049
487	0.020
योग 37	2.177

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसाडीह उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 229/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-बालपुर, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
665/2	0.008
704/3	0.020
692	0.016
693	0.024
685	0.036
योग 5	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बालपुर माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 230/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सकरेली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
285/1	0.227
285/2	0.016
योग 2	0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जेठा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 231/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-कड़ारी, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.581 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
156/2	0.016
156/3	0.081
138	0.036
137/1	0.061
132/1, 133/2	0.121
131/7	0.024
131/4, 5, 6	0.036
131/3	0.024
128/2, 130/3	0.036
128/1	0.028
137/3	0.049
131/2	0.020
123	0.049
योग 13	0.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कड़ारी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 232/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-कड़ारी, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.670 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	156/6	0.093
	156/7	0.158
	156/9	0.028
	157	0.008
	520	0.016
	519/2	0.036
	519/4	0.061
	519/1	0.040
	519/3	0.109
	518	0.045
	517	0.028
	516/2	0.004
	526/1, 3, 4. 9, 12	0.040
	526/2, 7, 8. 10	0.004
योग	14	0.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कड़ारी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 233/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1018/1	0.146
	1019/13	0.008
	1019/9	0.008
	1019/1	0.012
	1019/8	0.008
	1019/6	0.028
	1019/4	0.008
योग	7	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवागांव माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 234/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-कचन्दा, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.769 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
390/2, 390/3	0.061
269/4	0.077
395/1	0.028
395/15	0.032
269/7	0.061
269/3	0.109
269/5	0.049
269/14	0.109
397/17	0.154
397/18	0.020
397/3	0.069
योग 11	0.769

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कचन्दा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 235/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-मौहाडीह, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.320 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96/1	0.049
97/1	0.093
100/1	0.085
105/5	0.057
105/3	0.057
106/1	0.077
107/3	0.073
353	0.142
354/1, 354/2	0.057
355	0.032
356/1	0.040
356/2	0.036
356/3	0.036
351/3	0.077
358/2	0.061
358/3	0.053
358/1	0.061
362/1	0.113
357	0.121
योग 19	1.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कचन्दा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 236/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-परसापाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.632 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	845/2	0.020
	845/4	0.020
	766/1	0.032
	766/4	
	766/2	0.032
	767	0.049
	796	0.020
	769	0.040
	771	0.024
	772	0.020
	776/1	0.077
	774	0.049
	762/1	0.020
	770/1	
	761/5	0.032
	775/1	0.012
	773	0.028
	775/2	0.004
	793/1	0.040
	792/3	0.012
	791/2	0.020
	798/1	0.024
	791/1	0.053
	797/2	0.004
योग	22	0.632

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसापाली माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 237/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.188 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50/1	0.049
50/3	

(1)	(2)
49	0.105
48/8	0.174
48/1	0.016
48/15 48/7	0.121
48/9	0.036
48/3	0.202
48/19	0.020
35/1	0.049
35/4 क	0.109
35/3	0.093
34/6	0.089
34/7	0.109
11/15	0.016
योग 14	1.188

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चोरिया माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 238/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-मुढ़पार, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.076 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1611/1	0.028
1618/1	0.065
1627/1	0.020
1635	0.053
1636/1	0.040
1637/3	0.081
1637/2	0.016
1738	0.032
1739 1740	0.069
1741 1752	0.004
1743 1746/1	0.113
1747	0.028
1769/1	0.081
1786	0.020
1787	0.077
1788	0.053
1781	0.012
1789	0.020
1784/2	0.057
1785	0.016
784/1	0.077
774/2	0.012
774/3	0.073
776/2 777/2 778/3	0.008
775/1	0.032
775/2	0.036
773	0.057
772	0.049
770/1	0.049
770/2	0.053
767/2	0.012
743/1	0.053
743/2	0.053
741/1	0.049
741/2	0.053

(1)	(2)
740	0.085
738/2 738/1 739	0.097
723	0.105
724/2	0.024
724/1	0.093
1770	0.008
720	0.113
योग 42	2.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कनस्दा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 239/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-परसदा कला, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.268 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205	0.008
204/1	0.008
204/2	0.020
203	0.049
202	0.008
254	0.182
259	0.093
268/2	0.040
182	0.045
181	0.045
330	0.004
337/4	0.049
335	0.012
337/5	0.049
337/3	0.065
337/2	0.012
340	0.065
342	0.008
345/1	0.073
347 348 349	0.077
328	0.036
343	0.004
350/2	0.073
351 352 353 447	0.049
356/2	0.016
356/1	0.077
180	0.008
331	0.081
345/2	0.012
योग 29	1.268

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-परसदा कला माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक 240/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
(ख) तहसील-चांपा
(ग) नगर/ग्राम-परसापाली, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120/3	0.218
योग 1	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-फरसवानी उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2002

क्रमांक 09/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-परसाही, प. ह. नं. 36
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.737 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
282/6	0.283
282/7	0.454
योग 2	0.737

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2002

क्रमांक 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-कर्रा, प. ह. नं. 36
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.874 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232	0.202
234/1	0.162
234/2	0.162
235/1	0.405
235/3	0.040
239	0.721
240/1	0.121
240/2	0.020
240/3	0.186
240/4	0.405
241/2	0.040
243/2	0.081
278/1	0.012
278/2	0.020
279	0.324
280/1	0.401
280/2	0.162
284	0.316
286/1	0.125
286/2	0.081
287	0.433
288	0.312
290	0.049
291	0.142
292	0.223
302	0.344
303/1	0.223
303/2	0.162
योग 26	5.874

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2002

क्रमांक 11/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-दवनडीह, प. ह. नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.203 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101/2	0.121
101/5	0.279
101/7	0.105
103	0.364
104	0.129
105/2	0.429
112	0.121
113/1	0.053
113/2	0.053
114	0.150
116	0.526
117/1	0.162
117/2	0.162
117/3	0.263
118	0.077
120	0.172
122/1	0.890
123	0.352
187	0.243
188	0.065
190/1	0.061
190/2	0.138
190/3	0.016
194	0.190
195	0.057
203	0.057

	(1)	(2)
	204	0.032
	206	0.138
	207	0.081
	208	0.101
	215	0.202
	216	0.809
	90/23	1.619
योग	33	8.823

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 20 जून 2002

क्रमांक 37.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 69 (ख) सहपठित धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण को जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र तथा रजिस्टर तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाकर इस सूचना की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. यह प्रकाशन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र तथा रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत किये गये हैं.

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण में स्थित ग्रामों की सूची

आरंग तहसील :—कोटराबांधा, मंदिरहसौद, छतौना, रीको, रमचंडी, बरौदा, चीचा, कायाबांधा, झांझ, राखी, नवागांव, खपरी, नवागांव, संध, परसदा, कोटनी, पलौद, कुहेरा, तांदुल, गुजरा, धमनी, गनौद, रीवा, खुटेरी, जरौद, कुरूद, दरवा, नकटा, बकतरा, उमरिया.

अभनपुर तहसील :—तूता, उपरवारा, खंडवा, केन्द्री, तेंदुआ, पौता, नंजारी, खरखराडीह, नवागांव, चेरिया, कुर्रू, पचेड़ा, मुड़पार उर्फ भेलवाडीह, झाकी, बकतरा, सिंगारभाठा, बेन्द्री, निमोरा, परसट्टी.

रायपुर तहसील :— भटगांव, माना, धनेली, बोरियाकला, टेमरी, बनरसी, धरमपुरा, सेरीखेड़ी, नकटी, कचना, तुलसी, पिरदा.

उक्त अंगीकृत मानचित्र तथा रजिस्टर दिनांक 28-6-2002 से 5-7-2002 तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मंत्रालय भवन के पीछे, रायपुर में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अन्य सार्वजनिक दिनों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे.

सही/
(संजय शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,